उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल

2020 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 297

अजय सिंह @अजय कुमार .....संशोधनवादी

बनाम

उत्तराखंड राज्य ..... प्रतिवादी

श्री एके पांडे, पुनरीक्षणकर्ता के वकील।
श्रीमती शिवांगी गंगवार, उत्तराखंड राज्य के लिए संक्षिप्त धारक।

माननीय लोक पाल सिंह, जे.

वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण को आपराधिक जमानत अपील संख्या 134/2020 में विद्वान किशोर न्यायालय/एफटीसी/अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, POCSO, उधम सिंह नगर द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 21.08.2020 के खिलाफ प्राथमिकता दी जाती है, अजय सिंह @ अजय कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य , जिसमें अजय सिंह @ अजय कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य (एफआईआर) के जमानत आवेदन संख्या 33 में विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.2020 के खिलाफ पुनरीक्षणकर्ता की ओर से अपील की गई। संख्या 210/2020, आईपीसी की धारा 364 , 302 और 201 के तहत), पीएसआईटीआई, जिला उधम सिंह नगर को बर्खास्त कर दिया गया है।

2. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पुनरीक्षणवादी को आईपीसी की धारा 364 , 302 और 201 के तहत दंडनीय अपराध से संबंधित 2020 की एफआईआर संख्या 210 के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि संशोधनवादी 17.07.2020 से किशोर हिरासत में है। पुनरीक्षणकर्ता ने किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष जमानत याचिका दायर की, लेकिन उसे दिनांक 27.07.2020 के आदेश

द्वारा खारिज कर दिया गया। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि किशोर बोर्ड द्वारा पारित आदेश गलत है।

3. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम , 2000 की धारा 12 में प्रावधान है कि जब किसी जमानती या गैर-जमानती अपराध के आरोपी व्यक्ति और जाहिर तौर पर किशोर को गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है या पेश किया जाता है या सामने लाया जाता है बोर्ड, ऐसा व्यक्ति, संहिता में किसी बात के होते हुए भीआपराधिक प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2) या उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में, ज़मानत के साथ या उसके बिना जमानत पर रिहा किया जा सकता है [या परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में या किसी उपयुक्त संस्थान या फिट की देखरेख में रखा जा सकता है व्यक्ति] लेकिन उसे इस प्रकार रिहा नहीं किया जाएगा यदि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार दिखाई देते हैं कि रिहाई से उसे किसी ज्ञात अपराधी के साथ जुड़ने या उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डालने की संभावना है या उसकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी। .

4. इस प्रकार, अधिनियम की धारा 12 के अनुसार , संशोधनकर्ता अधिनियम में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा। वर्तमान मामले में, माना जाता है कि संशोधनवादी एक किशोर है। पुनरीक्षणवादी के विद्वान वकील ने कहा कि पुनरीक्षणवादी के परिवार के सदस्यों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। संशोधनवादी के पिता संशोधनवादी को अपने साथ रखने को तैयार हैं और वचन देने को तैयार हैं।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय इसे जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला मानता है।

6. वर्तमान संशोधन की अनुमति है. आपराधिक जमानत अपील संख्या 134/2020, अजय सिंह @ अजय कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य में विद्वान किशोर न्यायालय/एफटीसी/अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, POCSO, उधम सिंह नगर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 21.08.2020, जिसके तहत अजय सिंह उर्फ अजय कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य (एफआईआर संख्या 210/2020, धाराओं के तहत) 2020 के जमानत आवेदन संख्या 33 में विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.2020 के खिलाफ पुनरीक्षणकर्ता की ओर से अपील दायर की गई आईपीसी की धारा 364 , 302 और 201), पीएसआईटीआई, जिला उधम सिंह नगर को खारिज कर दिया गया है।

7. पुनरीक्षणकर्ता अजय सिंह उर्फ अजय कुमार को उसके पिता द्वारा एक निजी बांड निष्पादित करने और किशोर न्यायालय/एफटीसी/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश की संतुष्टि के लिए उसके पिता द्वारा समान राशि की दो विश्वसनीय जमानतें प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। पोक्सो, उधम सिंह नगर। उसके पिता को शपथ पत्र देना होगा कि किशोर उनकी अभिरक्षा में रहेगा और वह किशोर की देखभाल करेंगे।

(लोकपाल सिंह, जे.) 14.01.2021